संख्या-1118/2026/309/22-2-2026-17(149)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 20 अगस्त, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इस्लाम, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4400/प्रो०अनु०(7)/14/2025/ (बैठक दिनांक-19.01.2026) दिनांक16-02-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इस्लाम, जो ग्राम-मौहल्ला बडजियाउलहक, थाना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक 27.01.2019 से 6 माह पूर्व भिन्न-भिन्न तिथियों को अभियुक्त ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-52/2019 में भा०द०वि० की धारा-376(3), 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-15 सहारनपुर के आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.01.2019 से 6 माह पूर्व भिन्न-भिन्न तिथियों को अभियुक्त ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इस्लाम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल (बन्दी संख्या-1971/2023) पुत्र श्री इस्लाम, निवासी जनपद-सहारनपुर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1118/2026/309(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1118/2026/309/22-2-2026-17(149)/2026

दिनांक: 20 अगस्त, 2026 का संलग्नक

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इस्लाम, जो ग्राम-मौहल्ला बडजियाउलहक, थाना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक 27.01.2019 से 6 माह पूर्व भिन्न-भिन्न तिथियों को अभियुक्त ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-52/2019 में भा०द०वि० की धारा-376(3), 506 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-15 सहारनपुर के आदेश दिनांक 18.07.2023 द्वारा 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को कारागार में निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 27.01.2019 से 6 माह पूर्व भिन्न-भिन्न तिथियों को अभियुक्त ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इकबाल पुत्र श्री इस्लाम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।